

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र 16679 / 22/वि-12/टी-2/554/2016

भोपाल, दिनांक 28/07/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन इकाई

जिला - (म.प्र.)

विषय- मार्गों की चौड़ाई के संबंध में।


संदर्भ- 1-राज्य स्तरीय साधिकार समिति क्र 50 दि. 20.12.2014 में लिए निर्णय अनुसार।

2-इस कार्यालय का पत्र क्र. 24237 दिनांक 12.12.14

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत NRRDA ने अपने पत्र क्र P-170/35/1/2007-Tech dt. 30.09.2010 द्वारा मार्ग के निर्माण की लागत कम करने के उद्देश्य से प्रावधानित चौड़ाई carriageway width 3.75m, Roadway width 7.5m को कम कर carriageway width 3.75 & roadway 6m करने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि, 6m roadway width का मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण राज्य स्तरीय साधिकार समिति की 50 वीं बैठक दि. 20.12.2014 में लिये गये निर्णयानुसार सभी मार्ग जिसके carriageway width 3.75m है, वहां पर सभी मार्गों की चौड़ाई 6 मी. के स्थान पर 7.50 मी. रखी जावे। अतिरिक्त लागत का समायोजन राज्यांश मद से किया जावेगा।

मार्ग का निर्माण किये जाने के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 से 14वें चरण के प्रस्ताव संबंधी जानकारी चाही गई थी। चूंकि अब 14वें चरण बैच 1 की स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं तथा निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं अतः साधिकार समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।



(एम. के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता


मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क, विकास प्राधिकरण, भोपाल

पृ. क्र 16680 / 22/वि-12/टी-2/554/2016

भोपाल, दिनांक 28/07/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क, विकास प्राधिकरण, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबंधक तक. (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क, विकास प्राधिकरण, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क, विकास प्राधिकरण, भोपाल